UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY,
HIGH COURT CAMPUS, NAINITAL

NOTIFICATION

No. 1604 **/III-B-2009-10/SLSA/2025** **Dated:** 23 **July, 2025**

In exercise of the powers conferred under Section 22B of the Legal Services Authorities Act, 1987, provisions of the Permanent Lok Adalat (Other Terms and Conditions of Appointment of Chairman and Other Persons) Rules, 2003 (and its subsequent Amendments) and pursuant to the Notification No. 218, dated 04th June, 2025 and Notification No. 185, dated 07th May, 2025 **(Copy enclosed)** of the State Government, the Uttarakhand State Legal Services Authority, Nainital hereby appoints the following persons as Members in the Permanent Lok Adalat, Almora and Pauri Garhwal:-

S. No.	Permanent Lok Adalat	Name & Address of Members	
1.	**District Almora** (Also having jurisdiction over area of District Bageshwar and Pithoragarh)	1.	**Shri Bhashkar Chandra Pandey,** S/o Shri Puran Chandra Pandey, R/o-Vill. Bilori, Post Jhupulchaura, District Almora.
		2.	**Ms. Abhilasha Tewari,** D/o Shri R.D. Tewari, R/o- Cheenakhan, District Almora.
2.	**District Pauri Garhwal** (Also having jurisdiction over area of District Chamoli)	1.	**Shri Mayank Sharma,** S/o Shri Subhash C. Sharma, R/o-Naithani Bhawan, Dhara Road, District Pauri Garhwal.
		2.	**Shri Arvind Purohit,** S/o Late Shri Urvidatt Purohit, R/o-Koti Barkoti, P.O. Gholtir, District Rudraprayag.

NOTE:

1. This order will come into force with immediate effect.
2. All the abovementioned Members of Permanent Lok Adalat, Almora and Pauri Garhwal shall take over charge of their posting at the earliest.
3. Tenure of the abovementioned Members, Permanent Lok Adalat, Almora and Pauri Garhwal shall be five years or till the age of 65 years, whichever is earlier, and shall be calculated from the date they assume their charge.
4. Uttarakhand SLSA, Nainital may remove any Member from the office of Permanent Lok Adalat, Almora and Pauri Garhwal before completion of this tenure in light of Rule 5 of the Permanent Lok Adalat (Other Terms and Conditions of Appointment of Chairman and Other Persons) Rules, 2003.

5. In light of Rule 4 of the Permanent Lok Adalat (Other Terms and Conditions of Appointment of Chairman and Other Persons) Rules, 2003, the abovementioned Members, Permanent Lok Adalat, Almora and Pauri Garhwal, before appointment, shall have to take an Undertaking, before Chairman, Permanent Lok Adalat, Almora and Pauri Garhwal respectively, that he/she does not and will not have any such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his/her functions as such Members.

6. The Members of the Permanent Lok Adalat, Almora and Pauri Garhwal shall receive such **Sitting Fee and Conveyance Allowance**, as fixed under the Permanent Lok Adalat (Other Terms and Conditions of Appointment of Chairman and Other Persons) Rules, 2003 and its subsequent Amendment Rules, 2025. **(Copy enclosed)**.

By order of the Hon'ble Executive Chairman,

Sd/-

(Pradeep Kumar Mani)
Member Secretary

No. 1605 **/III-B-2009-10/SLSA/2025** **Dated:** 23 **July, 2025**

Copy forwarded for information and necessary action to the following:-

1. Registrar General, Hon'ble High Court of Uttarakhand, Nainital.
2. Principal Secretary, Law-cum-L.R., Government of Uttarakhand, Dehradun.
3. Principal Secretary, Legislative & Parliamentary Affairs, Govt. of Uttarakhand, Dehradun.
4. Member Secretary, National Legal Services Authority, New Delhi.
5. The Accountant General A & E, Uttarakhand, Mahalekhakar Bhawan, Kaulagarh, Dehradun.
6. Secretary, Personnel, Government of Uttarakhand, Dehradun.
7. All the District Judges/Chairpersons, District Legal Services Authorities, Uttarakhand.
8. Chairpersons, Permanent Lok Adalat, Dehradun/Haridwar/Nainital/Udham Singh Nagar/Tehri Garhwal.
9. **Chairperson, Permanent Lok Adalat, Almora and Pauri Garhwal with a direction to provide a copy of the countersigned Charge Taking Over Certificate and a copy of the Undertaking of the abovementioned Members of Permanent Lok Adalat, Almora and Pauri Garhwal to the Uttarakhand SLSA, Nainital.**
10. Director, Directorate of Treasuries, Pension & Entitlements Uttarakhand, 23-Laxmi Road, Dalanwala, Dehradun.
11. Director, Government Press, Uttarakhand, Industrial Area, Ramnagar, Roorkee, District Haridwar for publication of the Notification in the next issue of Gazette of Uttarakhand.
12. **Concerned Members of the Permanent Lok Adalat, Almora and Pauri Garhwal through Chairman, Permanent Lok Adalat, Almora and Pauri Garhwal.**
13. Senior Treasury Officer, Almora and Pauri Garhwal.
14. Assistant Computer Programmer, Uttarakhand SLSA for uploading this notification on the official website of this establishment.
15. Guard File/Concerned File.

23.07.25

(Pradeep Kumar Mani)
Member Secretary

Ravi

प्राप्ति संख्या 3204/SLSA
दिनांक 04-6-2025

उत्तराखण्ड शासन
न्याय अनुभाग–1
संख्याः– ---- /XXXVI-A-1/2025-23 एक(5)/2005
देहरादून दिनांकः 04 जून, 2025

अधिसूचना

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (अधिनियम सं0–39 सन् 1987) की धारा–22(ख) की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन शक्तियों को प्रयोग करते हुए, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की संस्तुति पर निम्नांकित तालिका के स्तम्भ–3 में उल्लिखित व्यक्तियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पूर्व में हो, तक के लिए स्तम्भ–2 में उल्लिखित जिलों के स्थायी लोक अदालतों में सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

तालिका

क्र0सं0	स्थायी लोक अदालत	स्थायी लोक अदालत में सदस्य के रूप में नामित जाने वाले चयनित / संस्तुत आवेदकों के नाम
1	2	3
1.	जिला अल्मोडा (जिला बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ के क्षेत्रों की भी न्यायिक सीमा का अधिकार)	1. श्री भाष्कर चन्द्र पाण्डे, पुत्र श्री पूरन चन्द्र पाण्डे, निवासी–ग्राम बिलोरी, पो0 झुपुल्चौरा, जिला अल्मोड़ा।
		2. सुश्री अभिलाषा तिवारी, पुत्री श्री आर0डी0 तिवारी, निवासी–चीनाखान, जिला अल्मोड़ा।

(प्रदीप पन्त)
प्रमुख सचिव।

संख्याः– 218 (1) /XXXVI-A-1/2025-23 एक(5)/2005 तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
3. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल।
4. जिला न्यायाधीश, अल्मोड़ा।
5. सम्बन्धित सदस्यगण द्वारा उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
7. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तराखण्ड, रूडकी, हरिद्वार को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को राजकीय गजट में विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड (ख) (परिनियत आदेश) के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें एवं अधिसूचना की 20 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. एन0आई0सी0 / गार्ड फाईल।

Mr. Ravi

आज्ञा से,
03/06/2025
(सुधीर कुमार सिंह)
अपर सचिव।

e:\alok chaudhari\alok chaudhari 02\salsa matters 2024\slsa letters2024.docx

डाक प्राप्ति संख्या 2645/मेल
09-5-2025
दिनांक 23-5-2025 | mr-faul

उत्तराखण्ड शासन
न्याय अनुभाग–1
संख्याः– /XXXVI-A-1/2025-23 एक(5)/2005
देहरादून दिनांकः 07 मई, 2025

अधिसूचना

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (अधिनियम सं0–39 सन् 1987) की धारा–22(ख) की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन शक्तियों को प्रयोग करते हुए, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की संस्तुति पर निम्नांकित तालिका के स्तम्भ–3 में उल्लिखित व्यक्तियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पूर्व में हो, तक के लिए स्तम्भ–2 में उल्लिखित जिलों के स्थायी लोक अदालतों में सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

तालिका

क्र0सं0	स्थायी लोक अदालत	स्थायी लोक अदालत में सदस्य के रूप में नामित जाने वाले चयनित/संस्तुत आवेदकों के नाम
1	2	3
1.	जिला पौड़ी गढ़वाल (जिला चमोली के क्षेत्रों की भी न्यायिक सीमा का अधिकार)	1. श्री मयंक शर्मा, पुत्र श्री सुभाष सी0 शर्मा, निवासी– नैथानी भवन, धारा रोड़, जिला पौड़ी गढ़वाल।
		2. श्री अरविन्द पुरोहित, पुत्र स्व0 श्री उर्विदत्त पुरोहित, निवासी– कोटी बडकोटी, पो0ओ0 घोल्तीर, जिला रूद्रप्रयाग।
2.	जिला टिहरी गढ़वाल (जिला उत्तरकाशी के क्षेत्रों की भी न्यायिक सीमा का अधिकार)	1. श्री लक्ष्मी प्रसाद उनियाल, पुत्र श्री बाचस्पति उनियाल, निवासी–15/4, सी0 ब्लॉक, मोलधार, जिला टिहरी गढ़वाल।
		2. श्री खेमराज सेमवाल, पुत्र स्व0 श्री राजेन्द्र प्रसाद सेमवाल, निवासी– 142, सेक्टर 5ए, बौराड़ी, बुरारी, जिला टिहरी गढ़वाल।

(प्रदीप पन्त)
प्रमुख सचिव।

संख्याः– 185 (1) /XXXVI-A-1/2025-23 एक(5)/2005 तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
3. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल।

4. जिला न्यायाधीश, पौड़ी गढ़वाल एवं टिहरी गढ़वाल।
5. सम्बन्धित सदस्यगण द्वारा उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल एवं टिहरी गढ़वाल।
7. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तराखण्ड, रूडकी, हरिद्वार को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को राजकीय गजट में विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड (ख) (परिनियत आदेश) के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें एवं अधिसूचना की 20 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. एन0आई0सी0 / गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुधीर कुमार सिंह)
अपर सचिव।

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16052025-263137
CG-DL-E-16052025-263137

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 269] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 15, 2025/वैशाख 25, 1947
No. 269] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 15, 2025/VAISAKHA 25, 1947

विधि और न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2025

सा.का.नि. 312(अ).-- केन्द्रीय सरकार, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 27 की उपधारा (2) के खंड (ठक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, स्थायी लोक अदालत (अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्थायी लोक अदालत (अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2025 है।

(2) ये इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. स्थायी लोक अदालत (अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2003 में,

(i) नियम 3 में,-

(क) उपनियम (3) में, "दो हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "दो हजार पांच सौ रुपए" शब्द रखे जाएंगे:

(ख) उपनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(5) अध्यक्ष और अन्य व्यक्ति, स्थायी लोक अदालत की बैठकों में भाग लेने के प्रयोजन के लिए, शहरों के वर्गीकरण के आधार पर निम्नानुसार वाहन भत्ते के हकदार होंगे:

क्र.सं.	शहरों का वर्गीकरण	जनसंख्या मानदंड	प्रति बैठक दर
1.	एक्स	50 लाख और उससे अधिक	1,000/- रु.
2.	वाई	5 लाख से 50 लाख	750/- रु.
3.	जेड	5 लाख से कम	500/- रु.

उपर्युक्त वाहन भत्ता आठ हजार रुपये प्रति माह की सीमा के अधीन है।"

(ii) नियम 7 के उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(3) स्थायी लोक अदालत की बैठक, जब कभी आवश्यक हो, अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाएगी और एक सौ तक लंबित मामलों वाली स्थायी लोक अदालत सप्ताह में कम से कम एक बार बैठक करेगी और प्रति बैठक कम से कम पांच मामले सूचीबद्ध करेगी तथा एक सौ से अधिक लंबित मामलों वाली स्थायी लोक अदालत सप्ताह में कम से कम दो बार बैठक करेगी और प्रति बैठक कम से कम पांच मामले सूचीबद्ध करेगी।"

[फा. सं. ए-60011/19/2019-एलएपी(न्याय)]

नीरज कुमार गयागी, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र में, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 3(अ), तारीख 2 जनवरी, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 373(अ), तारीख 13 मई, 2008, सा.का.नि. 618(अ), तारीख 22 जून, 2016 और सा.का.नि. 787(अ), तारीख 22 दिसम्बर, 2020 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department Of Justice)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th May, 2025

G.S.R. 312(E).— In exercise of the powers conferred by clause (la) of sub-section (2) of section 27 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987), the Central Government in consultation with the Chief Justice of India, hereby makes the following rules further to amend the Permanent Lok Adalat (Other Terms and Conditions of Appointment of Chairman and Other Persons) Rules, 2003, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Permanent Lok Adalat (Other Terms and Conditions of Appointment of Chairman and Other Persons) Amendment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Permanent Lok Adalat (Other Terms and Conditions of Appointment of Chairman and Other Persons) Rules, 2003,

(i) in rule 3, —

(a) in sub-rule (3), for the words "two thousand rupees", the words "two thousand and five hundred rupees" shall be substituted;

(b) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(5) For the purpose of attending the sittings of Permanent Lok Adalat, the Chairman and other person shall be entitled to conveyance allowance based on the classification of cities as under:

S.No.	Classification of Cities	Population criteria	Rate per sitting
1.	X	50 lakhs and above	Rs. 1,000/-
2.	Y	5 lakhs to 50 lakhs	Rs. 750/-
3.	Z	Below 5 lakhs	Rs. 500/-

The above conveyance allowance is subject to a ceiling of eight thousand rupees per month.";

(ii) in rule 7, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(3) The sitting of the Permanent Lok Adalat, as and when necessary, shall be convened by the Chairman and a Permanent Lok Adalat having a pendency of upto one hundred cases shall sit at least once a week and list at least five matters per sitting and a Permanent Lok Adalat having pendency of more than one hundred cases shall sit at least twice a week and list at least five matters per sitting".

[F. No. A-60011/19/2019-LAP(JUS)]

NIRAJ KUMAR GAYAGI, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India *vide* notification number G.S.R. 3(E), dated the 2nd January, 2003 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 373(E), dated the 13th May, 2008, G.S.R. 618(E), dated the 22nd June, 2016 and G.S.R. 787(E), dated the 22nd December, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA